न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 202 सन 2019
अनवान :–

1. रूपसिह पुत्र जरनेल सिह जाति जटसिख निवासी जखडवाला ।

वादी

बनाम

1. सुखमन्दसिह पुत्र जरनेल सिह जाति जटसिख निवासी चक 7–9 आपीएम हाल जखडवाला
2. गुरभेजसिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 24/23 की कुल 6.4510हैक में से 0.4301हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 0.999हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के वाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जो वादी कास्त करता आ रहा है किन्तु वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने कब्जा काश्त हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता जरनेलसिह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके नाम इसी चक में और भूमि है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी के हक हिस्सा में आई है जो वादी काश्त करता आ रहा है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल जो शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 24/23 की कुल 6.4510हैक में से 0.4301हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 0.999हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के वाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जो वादी कास्त करता आ रहा है किन्तु वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने कब्जा काश्त हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 24/23 की कुल 6.4510हैक में से 0.4301हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 0.999हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि बाहमी बटवारा में वादी के हक हिस्सा में आई है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की काश्त की सुविधा के लिये वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बाहमी बटवारा हुआ था वाद भूमि वादी के हिस्से में आई थी जो वह काश्त करता है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एक ही परिवार के सदस्य काश्त की सुविधा के मध्यनजर भूमि का बाहमी बटवारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 24/23 की कुल 6.4510है में से 0.4301हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.999हैक दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रूपसिह पुत्र जरनेल सिह जाति जटसिख निवासी जाखडावाला।

वादी

बनाम

1 सुखमन्दसिह पुत्र जरनेल सिह जाति जटसिख निवासी चक 7–9 आपीएम हाल जखडवाला
2. गुरभेजसिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 202 सन 2019 निर्णय दिनांक– 06/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 24/23 की कुल 6.4510है में से 0.4301हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.999हैक दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/9/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते